राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 1959/2023

बलवीर सिंह **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये शासन सचिव, गृह विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर।
3. अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस (अपराध शाखा) राजस्थान, जयपुर।
4. पुलिस अधीक्षक (प्रशासन एवं पीआरसी) सीआईडी (सीबी) राजस्थान, जयपुर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 31.07.2023
आदेश की दिनांक : 01.07.2024

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री पुष्पेन्द्र सिंह, अभिभाषक
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री पुष्पेन्द्र पाल सिंह, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी ने यह अनुतोष चाहा है कि अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर आलोच्य आदेश दिनांक 18.09.2004, 29.12.2004 एवं 05.07.2023 को अपास्त फरमाया जावे। प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिए जावें कि अपीलार्थी की वेतन को पुर्ननिर्धारण करते हुए जो दण्ड के रूप में एक वेतन वृद्धि रोकी गई उसे देखते हुए वेतनमान निर्धारण कर मय शेष राशि पर 18 प्रतिशत वार्षिक ब्याज का भुगतान किये जाने के आदेश फरमाये जावे।

अपील के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार हैं :–

अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का यह अभिकथन है कि अपीलार्थी की को आदेश दिनांक 18.09.2004, अपीलेट आदेश दिनांक 29.12.2004 एवं रिव्यू आदेश दिनांक 05.07.2023 जो प्रत्यर्थी विभाग द्वारा पारित किये गये है जिसके द्वारा दण्ड के रूप में वार्षिक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकी गई है। अपीलार्थी की प्रथम

नियुक्ति कॉन्स्टेवल चालक के पद पर दिनांक 01.06.1998 को हुई थी और उसे सीआईडी से भी रेफर पदस्थापित किया गया उस समय अपीलार्थी के विरूद्ध दिनांक 29.07.2003 को एफआईआर संख्या 173/2003 दर्ज की गई और चालान चार्जशीट संख्या 53/2003 दिनांक 25.08.2003 को फाईल की गई। परन्तु अपीलार्थी को बाद में माननीय न्यायालय निर्दोष घोषित किया गया। परन्तु अपराधिक मामला के आधार पर प्रत्यर्थी विभाग ने सीसीए नियम 16 के तहत दिनांक 05.12.2003 को चार्जशीट दी और उसे संचयी प्रभाव से 3 वेतन वृद्धि से रोके जाने के दण्ड से दण्डित किया गया। जिसे अपीलार्थी द्वारा रिव्यू याचिका दिनांक 01.06.2023 को पेश की गई। परन्तु आदेश दिनांक 05.07.2023 के द्वारा उसे खारिज कर दी गई, जो नियमों के विपरीत है। अपील स्वीकार कर आलोच्य आदेश दिनांक 18.09.2004, 29.12.2004 एवं 05.07.2023 को अपास्त फरमाया जावे। प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिए जावें कि अपीलार्थी की वेतन को पुर्ननिर्धारण करते हुए जो दण्ड के रूप में एक वेतन वृद्धि रोकी गई उसे देखते हुए वेतनमान निर्धारण कर मय शेष राशि पर 18 प्रतिशत वार्षिक ब्याज का भुगतान किये जाने के आदेश फरमाये जावे।

प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान् राजकीय अधिवक्ता ने अपील का लिखित जवाब प्रस्तुत करते हुए यह प्रतिवाद किया है कि अपीलार्थी को सीसीए नियम 16 के अन्तर्गत आरोप पत्र दिया गया और विभागीय जांच में आरोप प्रमाणित पाये जाने पर दिनांक 18.09.2004 के द्वारा तीन वर्ष की वार्षिक वेतनवृद्धि रोके जाने के दण्ड से दण्डित किया गया तथा अपील प्रस्तुत करने पर दिया गया दण्ड अधिक प्रतीत होने पर अपीलार्थी को आंशिक रूप से संशोधन करते हुए एक वर्ष की वार्षिक वेतन वृद्धि भावी प्रभाव सहित रोके जाने के दण्ड से दण्डित किया गया। जो नियमानुसार सही एवं उचित है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

हमनें उभय पक्ष के विद्वान् अधिवक्तागण को ध्यानपूर्वक सुना एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का अवलोकन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिवचनों एवं अभिलेख से यह स्पष्ट होता है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति कॉन्स्टेवल चालक के पद पर दिनांक 01.06.1998 को हुई थी और उसे सीआईडी से भी रेफर पदस्थापित किया गया उस समय अपीलार्थी के विरूद्ध दिनांक 29.07.2003 को एफआईआर संख्या 173/2003 दर्ज की गई और चालान चार्जशीट संख्या 53/2003 दिनांक 25.08.2003 को फाईल की गई। परन्तु

अपीलार्थी को बाद में माननीय न्यायालय निर्दोष घोषित किया गया। परन्तु अपराधिक मामला के आधार पर प्रत्यर्थी विभाग ने सीसीए नियम 16 के तहत दिनांक 05.12.2003 को चार्जशीट दी और उसे संचयी प्रभाव से 3 वेतन वृद्धि से रोके जाने के दण्ड से दण्डित किया गया। जिसे अपीलार्थी द्वारा रिव्यू याचिका दिनांक 01.06.2023 को पेश की गई। परन्तु आदेश दिनांक 05.07.2023 के द्वारा उसे खारिज कर दी गई। जहां तक अपीलार्थी को एक वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ नही दिये जाने का प्रश्न है, प्रत्यर्थी विभाग के इस तर्क से सहमत है कि अपीलार्थी को सीसीए नियम 16 के अन्तर्गत आरोप पत्र दिया गया था और विभागीय जांच में आरोप प्रमाणित होने पर दिनांक 18.09.2004 के द्वारा तीन वर्ष की वार्षिक वेतनवृद्धि रोके जाने के दण्ड से दण्डित किया गया परन्तु अपीलार्थी द्वारा अपीलेट में अपील प्रस्तुत करने पर दिया गया दण्ड अधिक प्रतीत होने पर अपीलार्थी को आंशिक रूप से संशोधन करते हुए एक वर्ष की वार्षिक वेतनवृद्धि भावी प्रभाव सहित रोके जाने के दण्ड से दण्डित किया गया, जो उचित एवं सही प्रकट होता है जिसमें हम किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते है। अतः अपीलार्थी की अपील खारिज फरमाये जाने योग्य है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील बलहीन एवं सारहीन होने के कारण मय स्थगन प्रार्थना पत्र के एतद् द्वारा खारिज की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य